न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 111/2023

1 ज्योति पुत्री स्व. सुमेर सिंह पत्नी राहुल महला जाति जाट निवासी ग्राम गौरीर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.। हाल निवासी ग्राम फरवाईकलां जिला सिरसा हरियाणा।

अपीलांट

बनाम

1 कमला देवी पुत्री स्व. हरनारायण पत्नी कन्हीराम जाति जाट निवासी ग्राम नेतरामपुरा तन जाखोद तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।
2 बिमला देवी पुत्री स्व. हरनारायण पत्नी धर्मचन्द जाति जाट ग्राम भलोठ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.।
3 प्रताप सिंह पुत्र श्री हरनारायण जाति जाट निवासी ग्राम गौरीर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।
4 रोहताश पुत्र छितरराम माता स्व. किताब देवी पुत्री स्व. हरनारायण
5 रोशनलाल पुत्र छितरराम माता स्व. किताब देवी पुत्री स्व. हरनारायण
6 राजेन्द्र पुत्र छितरराम माता स्व. किताब देवी पुत्री स्व. हरनारायण
7 सुरेन्द्र पुत्र छितरराम माता स्व. किताब देवी पुत्री स्व. हरनारायण
समस्त जाति जाट निवासीगण बुढ़वाल तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़ राज.।
8 सरती उर्फ सरस्वती पत्नी स्व. सुमेर सिंह जाति जाट निवासी ग्राम गौरीर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू हाल निवासी 151–ए छतरगढ़ पट्टी गली नेकीराम की सिरसा जिला सिरसा हरियाणा।
9 किताबो पत्नी छैलुराम
10 अनिता पुत्री छैलुराम
11 शकुन्तला पुत्री छैलुराम
12 सुनिता पुत्री छैलुराम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

13 सुशीला पुत्री छैलुराम
14 दयानन्द पुत्र छेलुराम
15 दलिप पुत्र छेलुराम
16 राजेश पुत्र छेलुराम
17 मनी ाा पुत्री राजेन्द्र
18 हरफुल पुत्र घोघड़
समस्त जाति जाट निवासी ग्राम गौरीर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।
19 राहुल महला पुत्र श्री मनीराम महला जाति जाट निवासी ग्राम फरवाईकलां जिला सिरसा हरियाणा।
20 उप पंजीयक खेतड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।
21 भू–स्वामी जरिये तहसीलदार खेतड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू राज.।

रेस्पोडेन्ट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.एक्ट. 1955
अपील खिलाफ निर्णय व डिक्री दिनांकित 02.01.2023
बअदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी जिला
झुन्झुनू दावा उनवानी कमला देवी वगे. बनाम सरती
उर्फ सरस्वती वगै. मु.नं. 198/2022 जी.सी.एम.एस.
नम्बर 2022/554 दावा बाबत घो ाणा दुरूस्ती रिकार्ड
व स्थाई नि ोधाज्ञा

उपस्थिति :

1. श्री राजेन्द्र बुडानियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री उम्मेदराज सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

—निर्णय—

दिनांकः— 3·1·25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी द्वारा मुकदमा नम्बर 198/2022 में पारित निर्णय दिनांक 02.01.2023 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के साथ दुरभिसंधि कर जमीन हाल खसरा नम्बर 1107 रकबा 0.14 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1108 रकबा 0.14 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.28 हैक्टेयर व जमीन हाल खसरा नम्बर 140 रकबा 1.25 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1527 रकबा 0.19 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1532 रकबा 0.42 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 44 रकबा 0.79 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 2.65 हैक्टेयर वाके ग्राम गौरीर के बाबत उपरोक्त विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपीलान्ट को स्व. सुमेर सिंह की पुत्री होने के बावजूद बिना पक्षकार बनाये गलत वंशावली प्रस्तुत कर पारित करवाया गया है। दिनांक 02.01.2023 से व्यथित होकर यह अपील धारा 5 व धारा 96 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने स्व. हरनारायण की वंशावली में हरनारायण के पुत्र स्व. सुमेर सिंह की वंशावली में हरनारायण के पुत्र स्व. सुमेर सिंह की वंशावली गलत बनाकर प्रस्तुत की गई है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने सुमेर सिंह की पत्नी रेस्पोडेन्ट संख्या 8 को अकेली को पक्षकार बनाकर विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित करवाया गया है। अपीलान्ट स्व. सुमेर सिंह व रेस्पोडेन्ट संख्या 8 की दत्तक पुत्री है। अपीलान्ट के दत्तक पुत्री होने का कोई विवाद नहीं है। अपीलान्ट के समस्त सरकारी शैक्षणिक दस्तावेज व अपीलान्ट के पिता स्व. सुमेर सिंह के वायुसेना के समस्त दस्तावेजात में अपीलान्ट बतौर

पुत्री दर्ज है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा स्व. सुमेर सिंह की दतक पुत्री अपीलान्ट ज्योति को बिना पक्षकार बनाये निर्णय व डिक्री पारित करवाई गई है। इस कारण विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त होने योग्य है। विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय में स्व. मनीराम पुत्र हरनारायण के हिस्से की खातेदारी अधिकारों का निर्धारण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा दर्ज गलत वंशावली के आधार पर किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय में दर्ज अनुसार हिन्दु उतराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के परिप्रेक्ष्य में प्रथम दायादों अनुसूचि वर्ग प्रथम में मृतक मनीराम का कोई उत्तराधिकारी नहीं होना व द्वितीय दायादों अनूसूचि वर्ग 2 में मृतक मनीराम के भाई बहिन, बहिन का पुत्र व बहिन की पुत्री को उत्तराधिकारी होना तय किया गया है। द्वितीय दायादों अनुसूचि वर्ग 2 में भाई की पुत्री व भाई का पुत्र भी उत्तराधिकारी शामिल होते है। अपीलान्ट मृतक मनीराम के भाई स्व. सुमेर सिंह की दत्तक पुत्री होने से द्वितीय दायादों अनुसूचि वर्ग 2 में भाई की पुत्री होने से स्व. मनीराम की अन्य उत्तराधिकारियों के साथ वैद्य वारिसान एवं उत्तराधिकारी है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत पुत्र व पुत्री में दत्तक पुत्र व पुत्री सम्मिलित होते है। इस प्रकार गलत वंशावली के आधार पर व हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 द्वितीय दायादों अनुसूचि वर्ग 2 का गलत निर्वचन व अर्थानवन कर अपीलान्ट को स्व. सुमेर सिंह की पुत्री होने के बावजूद मृतक मनीराम पुत्र हरिनारायण के हक हिस्से की खातेदारी भूमि में कोई हक हिस्सा बिना दिये निर्णय एवं डिक्री पारित कर विचारण न्यायालय द्वारा विधि एवं तथ्य की भूल कारित की गई है। इस कारण भी निर्णय व डिक्री जैर बहस निरस्त होने योग्य है। अपील की मद संख्या 3 में वर्णित अनुसार स्व. मनीराम पुत्र हरनारायण के हक हिस्से की खातेदारी भूमि में मृतक मनीराम के भाई, बहनों व मृतक बहिन के वारिसों के साथ अपीलान्ट स्व. सुमेर की पुत्री होने से बहिस्सा बराबर की खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने व हक अधिकार प्राप्त करने की अधिकारी है। इस कारण भी विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त होने योग्य है। अपीलान्ट मृतक मनीराम के

भू-प्रबन्ध अधिकारी
पदेन राजस्व अपील अ
सीकर (कैम्प

भाई स्व सुमेर की पुत्री है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा नाऔलाद मृतक मनीराम के उतराधिकारियों की गलत वंशावली दर्ज कर विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित करवाई है। अपीलान्ट को वाद पत्र में आवश्यक पक्षकार होने के बावजूद पक्षकार नहीं बनाया गया। इस प्रकार विचारण न्यायालय में वादीगण ने तथ्य छिपाकर व गलत तथ्य पेश कर वाद पत्र का निर्णय करवाया है। अपीलान्ट को प्रभावित पक्षकार की हैसियत से यह अपील पेश करने का हक है। अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की इजाजत दिया जाना उचित व न्यायोचित है। अपीलान्ट की तरफ से दफा 96 जा.दी. का प्रार्थना पत्र अपील के साथ अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है। जानकारी से अंदर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड से विवादित भूमि हरनारायण पुत्र मुखराम की खातेदारी की होना प्रमाणित है। वादिया हरनारायण की पुत्रियां है। हरनारायण की मृत्यु पर हरनारायण की विरासत का नामान्तकरण केवल उनके चार पुत्रों के नाम दर्ज कर दिया गया है। विधि अनुसार पिता की सम्पति में पुत्रियों/वादी का समान हक हिस्सा है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद स्वीकार कर पैतृक भूमि में वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अपीलांट हरनारायण के पुत्र सुमेर की पुत्री है। विचारण न्यायालय में सुमेर की पत्नी सरती की सम्यक तामील के उपरांत अनुपस्थिति होने पर विधि अनुसार एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। सरती द्वारा विचाराधीन निर्णय को चुनौती नहीं दी गई है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपीलांट प्रभावित पक्षकार नहीं है। अपील मियाद बाहर है। अपील खारिज की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प उदयपुर)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड से विवादित भूमि हरनारायण पुत्र मुखराम की खातेदारी की होना प्रमाणित है। वादिया हरनारायण की पुत्रियां है। हरनारायण की मृत्यु पर हरनारायण की विरासत का नामान्तकरण केवल उनके चार पुत्रों के नाम दर्ज कर दिया गया है। विधि अनुसार पिता की सम्पति में पुत्रियों/वादी का समान हक हिस्सा है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद स्वीकार कर पैतृक भूमि में वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अपीलांट हरनारायण के पुत्र सुमेर की पुत्री है। विचारण न्यायालय में सुमेर की पत्नी सरती की सम्यक तामील के उपरांत अनुपस्थिति होने पर विधि अनुसार एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। सरती द्वारा विचाराधीन निर्णय को चुनौती नहीं दी गई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट को प्रभावित पक्षकार नहीं माना जा सकता है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट धारा 96 व गुणावगुण पर खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 3.1.25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर